ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-01, No.05, January: 2025

"सूचना का अधिकार :– चुनौतियॉ एवं समाधान"

डॉ. अंजना ठाकुर प्रचार्य शासकीय नवीन महाविघालय अर्जुनी, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)
हलेश कुमार शोधार्थी कल्याण स्नातकोत्तर महाविघालय भिलाई नगर दुर्ग (छ.ग.) **njhbmg@gmail.com**

सारांश :–
सूचना का अधिकार अधिनियम अपनी अस्तित्व के 19 वर्ष पूरा कर लिए हैं। यह कानून भारत के नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम प्रदान करता है। इस अधिनियम ने वर्तमान जटिल आधुनिक दुनिया में आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदर्शन और पारदर्शिता के एक नए युग की शुरुआत की है। सूचना का अधिकार अधिनियम आम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जागरूक होने और उसमें सजकता के साथ भाग लेने की क्षमता प्रदान की है। विशेष रूप से समाज के निम्न मध्यम वर्ग और हाशिये के लोगों के लिए यह एक महत्वपूर्ण लाभ का कदम है, क्योंकि यहां उन्हें भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियो से लड़ने का अधिकार प्रदान करता है। भारत जैसे विविधता वाले देश में इस कानून को लागू करने में अनेक चुनौतियॉ सामने आई मुख्य चुनौतियों के रूप में नागरिकों में जागरूकता की कमी, खराब अभिलेख (रिकॉर्ड) प्रबंधन, सूचना आयोग में अधिकारियों व कर्मचारियों की कमी व आयोग की निष्क्रियता, आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जानलेवे हमले, प्रशिक्षण की कमी एवं समय पर सही व सटीक जानकारी ना मिल पाना।
यहां शोध पत्र नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने व अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख चुनौतियों का समाधान जैसे सूचना के स्वप्रकटीकरण को बढावा देने, केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने, निर्धारित समय में सुस्पष्ट चाही गई जानकारी प्रदान करने, नागरिक समाज को वृत्तिचित्रों, लघु फिल्मों और नुक्कड़ नाटकों आदि के माध्यम से जागरूक करने व अभिलेखों का त्वरित रूप से डिजिटलीकरण और उचित रिकॉर्ड प्रबंधन एवं अपीलों तथा शिकायतों पर शीघ्र सुनवाई करने की मांग करता है।
कुंजी शब्द :– सूचना का अधिकार, पारदर्शिता, जवाबदेही, चुनौतियॉ, समाधान

प्रस्तावना :–
सरकारी कियाकलाप में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 12 अक्टूबर 2005 को लागू किए गए सूचना का अधिकार अधिनियम ने अपनी अस्तित्व के 19 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। यह अधिनियम सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है, जिससे बेहतर प्रशासन और जवाबदेही के लिए सूचना का प्रसार करना लोक प्राधिकरणों का कर्तव्य बनता है। इस अधिनियम ने जटिल आधुनिक विश्व में आम आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदर्शन और प्रादर्शिता की एक नई युग की शुरुआत की है। यह एकमात्र ऐसा कानून है जो व्यक्तिगत नागरिक की संप्रभुता को मान्यता देता है। इस कानून के लागू होने के बाद देश के नागरिकों में खुशी कि एक अलग ही झलक देखने को मिला।
2005 का सूचना का अधिकार अधिनियम की एक खूबसूरत विशेषता यह है कि सरकारी मशीनरी में जवाबदेही व पारदर्शिता को बढ़ाने में यह कानून काफी सफल रहा। इस कानून के तहत प्रतिवर्ष हमारे देश में 40 से 60 लाख आरटीआई आवेदन लगाए जाते हैं। ढेर सारी सूचनाओं मांगी जाती है यह बात अलग–अलग शोध में उभर कर आता है की सबसे ज्यादा निम्न मध्यम वर्ग और हंशिये के लोगों ने इसका इस्तेमाल कर रहा है। प्रायः लोग अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। राशन कार्ड का विवरण, मनरेगा, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि मुद्दों पर सूचना का अधिकार अधिनियम से सूचना लेकर शासन प्रशासन को जवाबदेह बना रहे हैं। इतना ही नहीं इस कानून का इस्तेमाल करके लोग देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और देश के प्रधानमंत्री व उसके कार्यालय से भी सूचना लगातार मांग रहे हैं। इस कानून का इस्तेमाल करके लोगों ने भ्रष्टाचार के बड़े–बड़े मामलों का पर्दापाश किया है। जहां पर सत्ता का दुरूपयोग हुआ इस अधिनियम के माध्यम से पिछले 19 सालों में उस पर लगाम लगाने में यह कानून काफी सफल रहा। इस कानून के जरिए सही मायने में प्रजातंत्र में प्रजा सशक्त हुआ है और उसका अधिकार दिलाने में यह कानून कारगर साबित हुआ है।

https://doi.org/10.36893/JK.2025.V15I1.028
Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-01, No.05, January: 2025

इतिहास :–

इस कानून के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को लंबी जद्दोजहद और मस्कत करनी पड़ी थी। भारत में सर्वप्रथम इस कानून को लागू करने के लिए राजस्थान के अजमेर में 1996 को जन आंदोलन की शुरुआत हुई। ब्यावर के चांग गेट से ही पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए बने क्रांतिकारी कानून को लागू करने की चिंगारी जागी। देश की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय के नेतृत्व में 6 अप्रैल 1996 को चांग गेट पर ही मजदूर किसान शक्ति संगठन ने 40 दिनों तक सरकारी सूचनाओं और फाइलों में पारदर्शिता की मांगों को लेकर धरना दिया। इस आंदोलन को बड़ी संख्या में जन समर्थन मिला। यह एक ऐसा समय था जब कोई यहां सोच भी नहीं सकता था कि सरकारी कार्यालय की किसी फाइल में से कागज की नकल उन्हें लेने का अधिकार है। सूचना के अधिकारों के प्रति सजकता 1975 में उस वक्त आई जब सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश बनाम राज नारायण के मामलों की सुनवाई हुई इस प्रकरण में कोर्ट ने अपने आदेश में सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक कार्यों का विवरण जनता को उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

प्रावधान :–

एक ऐतिहासिक कदम के रूप में 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम अस्तित्व में आया। यह कानून सरकार और अधिकारियों के कामकाज में सुधार व पारदर्शिता लाने का एक सार्थक प्रयास है। इस कानून के आने से देश में भ्रष्टाचार और लालफिताशाही को नियंत्रित करने का एक सशक्त माध्यम आम नागरिकों को प्राप्त हुआ। पदाधिकारीयों का अपने पद के प्रति जवाबदेह होना स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, इसीलिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वह 30 दिन की निर्धारित समयावधि के भीतर सूचना उपलब्ध कराए। यदि मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्राप्त सूचना की विषयवस्तु के संदर्भ में असंतुष्टि, निर्धारित अवधि में सूचना प्राप्त न होने आदि में स्थानीय से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।

राष्ट्र की संप्रभुता, एकता–अखण्डता, सामरिक हितों आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सूचनाएँ प्रकट करने की बाध्यता से मुक्ति प्रदान की गई है। इस अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्य विधानमंडल के साथ–साथ सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कैग और चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक निकायों व उनसे संबंधित पदों व कार्यालयो को भी सूचना के अधिकार के दायरे में लाया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्तों की सदस्यता वाले एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य स्तर में भी इसी तर्ज पर एक राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत शोध में तथ्य को संकलित करने के लिए द्वितीय सूची के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से जानकारी का संकलन किया गया है। जिसमें शासकीय बजट विभिन्न प्रकाशकों द्वारा सूचना का अधिकार के बारे में प्रकाशित पुस्तकों विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में दी गई जानकारी व ससमय विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय आदि को सम्मिलित किया गया है।

परिकल्पना :–

1. सूचना का अधिकार से शासकीय कार्यों में पारदर्शिता व गतिशीलता आई है।
2. सूचना का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में उपयोग करने का अधिकार दिया है।
3. सूचना का अधिकार से भ्रष्टाचार में कमी आई है।
4. अभिलेखों का सही रिकॉर्ड प्रबंध न होना सूचना देने में अवरोधक है।
5. सूचना का अधिकार कानून का कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है।

उद्देश्य :–

https://doi.org/10.36893/JK.2025.V15I1.028
Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-01, No.05, January: 2025

प्रस्तुत अध्ययन को निष्पादित करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को निर्धारित किया है

1. सूचना तक नागरिकों की पहुंच उपलब्ध कराना सूचना के स्वप्रकटन को बढ़ावा देना।
2. नियमतः केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी व राज्य लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करना।
3. अभिलेखों के उचित रखरखाव व विनाश संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक बदलाव लाना।
4. अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सूचना के अधिकारों के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के उपबंध को बढ़ाना।

चुनौतियॉ :–

12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ जो सत्ता के गलियारों से आम नागरिकों तक सच और जानकारी की रोशनी पहुंचाने का सशक्त माध्यम बना। लोकतंत्र में सवाल पूछना सब का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम लोगों को यह हक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के द्वारा यह व्यवस्था की है कि संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 में यह अधिकार पहले से ही शामिल है। अनुच्छेद 19 लोगों की अभिव्यक्ति और बोलने की आजादी का अधिकार देता है वही अनुच्छेद 21 जीने के हक से संबंधित है। जानने का अधिकार अनुच्छेद 19 में शामिल है जो वाणी की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसलिए जानने के अधिकार पर यदि कोई अकारण प्रतिबंध लगाया जाता है तो इससे सूचना का अधिकार अर्थहीन हो जाएगा। सूचना का अधिकार कानून पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है।

सुचना आयोग में रिक्तियॉ और आयोग की निष्क्रियता के कारण देशभर में कई आयोगों में बड़ी सख्या में अपील और शिकायतें लंबित हैं। जिसके परिणामस्वरूप मामलों के निपटान में अत्यधिक देरी होती है। ऐसे लंबित मामलों का मुख्य कारण सूचना आयोगों की नियुक्ति के लिए समय पर कार्यवाही करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता है। वर्ष 2023 में 29 में से 7 सूचना आयोग अलग–अलग अवधि के लिये निष्क्रिय रहे। झारखंड का आयोग 4 वर्षों से निष्क्रिय है, जबकि त्रिपुरा और तेलंगाना क्रमशः 3 वर्षों तथा डेढ़ वर्षों से निष्क्रिय हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में 11 में से 8 पद रिक्त हैं। कर्मचारियों की भारी कमी के कारण पूरे भारत में 4 लाख से भी अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित हैं। छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे कुछ राज्यों में वर्ष 2029 तक नई अपीलों का निपटान होने की उम्मीद नहीं है।

आरटीआई कार्यकर्त्ताओं के लिये खतरनाक माहौल अधिनियम की प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के अनुसार, आरटीआई अधिनियम का उपयोग करने के कारण लगभग 100 लोगों को घातक नुकसान पहुँचाया गया है तथा हज़ारों लोगों पर हमला किया गया है, धमकी दी गई है या उन्हें झूठे मामलों का सामना करना पड़ा है। भय के इस माहौल के कारण, कई नागरिक आरटीआई आवेदन दाखिल करने या अपील करने से कतराते हैं, विशेषकर जब वे शक्तिशाली हितों से जुड़े संवेदनशील मामलों से निपटते हैं। परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को उजागर करने में अधिनियम की क्षमता सीमित हो जाती है।

यद्यपि डिजिटलीकरण ने कुछ मायनों में सूचना तक पहुँच में सुधार किया है, लेकिन इसने नई बाधाएँ भी उत्पन्न की हैं। कई सरकारी वेबसाइटों का प्रबंधन ठीक से नहीं किया गया है, उनमें पुरानी या अधूरी जानकारी है। ऑनलाइन आरटीआई दाखिल करने की प्रक्रिया में वे लोग शामिल नहीं हो पाए हैं जिनके पास डिजिटल साक्षरता या इंटरनेट कनेक्शन का अभाव है। वर्ष 2023 तक लगभग 665 मिलियन भारतीयों, या देश की 45 प्रतिशत आबादी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। यह डिजिटल डिवाइड सूचना असमानता का एक नया रूप उत्पन्न कर रहा है, जो सूचना तक सार्वभौमिक पहुँच के अधिनियम के लक्ष्य के विपरीत है। जन सूचना अधिकारीयों को समय पर सूचना प्रदान करने में तकनीकी समस्या के रूप में एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है, जो अधिकांश लोक प्राधिकरणों में अभिलेख (रिकॉर्ड) प्रबंधन की प्रकृति, खराब स्थिति है। सूचना और सार्वजनिक अभिलेख प्रणाली की अराजक प्रकृति, उचित अभिलेखागार की कमी और सरकार में सूचना के प्रबंधन के लिए किसी भी सुसंगत प्रणाली की कमी प्रमुख संस्थागत समस्याएं हैं। सूचना के अधिकार को और अधिक सार्थक बनाने के लिए सूचना और अभिलेख प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ करना समय की आवश्यकता है। प्रत्येक लोक प्राधिकरण को अपने और अभिलेखों को ठीक से प्रबंधित करने, शीघ्रता से कम्प्यूटरीकृत करने और उन्हें खोज योग्य डेटाबेस में व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है, जिसे सूचक शब्दों द्वारा पुनःप्राप्त किया जा सकता है।

https://doi.org/10.36893/JK.2025.V15I1.028
Copyright @ 2025 Author

प्रशिक्षण की कमी गोपनीयता से वचित सरकारी अधिकारी सूचना को शक्ति के रूप में देखते है और इसे देने के अनिच्छुक है। इसलिए वे सूचना के प्रसंस्करण में देरी करते है। प्रशासनिक व्यवस्था में लोक अधिकारी अपने पास रखी फाइलों को अपनी निजी संपत्ति मानते है। परपरागत रूप से गुप्त नौकरशाही के भीतर सूचना स्वयं शक्ति का एक रूप है और अधिकारी इसे अन्य अधिकारियों के साथ साझा करने के लिए अनिच्छुक है। नौकरशाही की मानसिकता को बदलना एक कठिन चुनौती है। अभिविन्यास बदलने और अंतर्निहित मानसिकता से निपटने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ हद तक महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं।

भारत में सूचना का अधिकार व्यवस्थाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती विशेष रूप से कमजोर वर्गो और ग्रामीण जनसंख्या के बीच सूचना का अधिकार अधिनियम (धारा 26(1)) की समझ और जागरूकता की कमी है। निरक्षरता, गरीबी तथा जाति के आधार पर विभाजन प्रमुख बाधाएं है। जागरूकता लाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को स्वीकार करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम स्वप्रकटन के दायित्व पर जोर देता है कि जनता की समझ को आगे बढ़ाएं विशेष रूप से वंचित समुदायों में ताकि इस अधिनियम के तहत विचार किए गए अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जा सके।

समाधान :–

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की भूमिका केवल अपीलों के निपटान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसे राज्य लोक सूचना अधिकारी के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करना चाहिए। जहाँ आवश्यक हो राज्य लोक सूचना अधिकारी को अतिरिक्त भार से मुक्त किया जाना चाहिए ताकि वे राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर सके। राज्य में विभिन्न स्तरों पर अन्य राज्य सेवाओं की तरह एक अलग संवर्ग का गठन किया जा सकता है, और इसे लोक सूचना सेवा के रूप में नामित किया जा सकता है। सूचना आयुक्तों की भूमिका द्वितीय अपील पर निर्णय लेने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्हें राज्य लोक सूचना अधिकारी के कार्यालयों का समय–समय पर निरीक्षण करने के लिए भी अनिवार्य किया जाना चाहिए। इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर कुछ सरल लेकिन ठोस कदमों की आवश्यकता है, जो अब तक सूचना के मुक्त प्रवाह के कार्यान्वयन में एक प्रबल बाधा बनी हुई है। लोक प्राधिकरणों द्वारा सूचना के स्वःप्रेरणा प्रकटीकरण की सीमा को और बढाने की आवश्यकता है ताकि नागरिकों द्वारा आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार का सहारा कम से कम लिया जा सके। स्वःप्रेरणा प्रकटीकरण से संबंधित दायित्वों को संबोधित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग भी किया जा सकता है।

सूचना का अधिकार तंत्र में प्रर्याप्त भूमिका स्पष्टता की भी आवश्यकता है। सूचना का अधिकार कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी केवल राज्य लोक सूचना अधिकारी पर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इस संदर्भ में लोक प्राधिकरण और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को भी जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। लोक पदाधिकारियों द्वारा अपने कर्त्तव्यों के प्रदर्शन में नागरिक समाज को वृतचित्रों, लघु फिल्मों और अन्य माध्यमों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके जागरूकता पैदा करने में शामिल किया जा सकता है। लोक गायकों की सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। इस संदर्भ में नुक्कड नाटकों का आयोजन भी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सूचना के अधिकार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का अनिवार्य घटक बनाया जा सकता है। स्कूलों व कॉलेजो को छात्रों के बीच सूचना का अधिकार के बारे में जागरूकता के स्तर की जांच करने के लिए प्रदर्शनियों, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और परीक्षण आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और उनमें से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी दिया जा सकता। इस अधिकार का दुरूप्योग करने वालों को दंडित करने के लिए कुछ तंत्र भी स्थापित करने की आवश्यकता है क्योंकि गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) कार्ड का प्रायः आवेदन लागत का भुगतान किए बिना जानकारी मांगने के लिए दुरूपयोग किया जाता है। जबकि वास्तविक सूचना चाहने वालों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है और ब्लैकमेलर्स की न केवल पहचान की जानी चाहिए, बल्कि अधिकारियों या सहकर्मियों को परेशान करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दण्ड भी दिया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार के दुरूप्योग को रोकने के लिए यह आवश्यक है। हालांकि, इस सुझाव को अत्यंत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाना चाहिए जिससे ऐसा न हो कि यह वास्तविक सूचना चाहने वालो और सार्वजनिक उत्साही सामाजिक कार्यकर्ताओं को विचलित और परेशान होना पड़े।अभिलेखों का त्वरित रूप से डिजिटलीकरण और उचित रिकॉर्ड प्रबंधन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि लॉकडाउन में अभिलेखों तक दूरस्थ पहुँच की कमी को व्यापक रूप से आयोगों द्वारा अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई करने में बाधक होने का कारण बताया गया है। यह सर्वविदित है कि

 https://doi.org/10.36893/JK.2025.V15I1.028 Copyright @ 2025 Author

ISSN: 2278-4632
Vol-15, Issue-01, No.05, January: 2025

अधिशासन सुधारने के लिये आवश्यक है, किंतु प्रर्याप्त नहीं। अधिशासन में जवाबदेही लाने की ज़रूरत है, जिसमें भेद खोलने वालों को संरक्षण प्रदान करना, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना और सभी स्तरों पर जवाबदेही के साथ प्राधिकार का प्रसार शामिल है।

निष्कर्ष :–

जैसा भी हो, पर्याप्त जानकारी के बिना भारत के प्रतिनिधि प्रजातंत्र के कमजोर होने की संभावना है। पारदर्शिता और सूचना तक पहुंच का अधिकार दो उपयोगी उपकरण है, जो लोकतांत्रिक राज्य नागरिकों को शासन विकास प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए उपयोग करते हैं, जिसे निस्संदेह सूचना का अधिकार द्वारा मजबूत किया गया है। हालाकि उन प्रावधानों में कुछ सुधारात्मक परिवर्तन करना आवश्यक है जिन्होंने अस्पष्टता उत्पन्न की है और सूचना के मुक्त प्रवाह पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए सूचना का अधिकार व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता है, जो वर्तमान में हालही के दिनों में सामने आए प्रतिकूल प्रवृतियों के हमले से खतरे में है। बल्कि यह उत्साहजनक है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था इसके लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और जनता उन लोगों को माफ करने की मनोदशा में नहीं है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम को नुकसान पहुँचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन साथ ही नौकरशाही की मानसिकता में बदलाव लाने और इस संदर्भ में जनता की क्षमता को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची :–

1. Firstpost. (2017). Right to Information: Around 2.44 crore applications filed between 2005-2016. Retrieved from http://www.firstpost.com/india/right-to-information- around-2-44-crore-applications-filed-between-2005-2016-reveals-report- 4136397.html
2. RTI Assessment and Advocacy Group & Samya -Centre for Equity Studies. (2014). People's Monitoring of the RTI Regime in India 2011-13. Retrieved from http://nebula.wsimg.com/93c4b1e26eb3fbd41782c6526475ed79?AccessKeyId=52EBDBA4FE710433B3D8&disposition=0&alloworigin=1
3. epaper,patrika.com.com/c/44578936,12 october 2019
4. कुमार नीरज, जानिये अपना सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, भारत लॉ हाउस,नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 554
5. छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग, वार्षिक प्रतिवेदन, 2023
6. योजना, फरवरी 2018 पृष्ठ क्रमांक 22,23
7. दैनिक भास्कर, रायपुर दिनॉक 3 अगस्त 2006,
8. दैनिक भास्कर, जयपुर दिनॉक 24 अगस्त 2024,
9. द हिन्दू
10.दृष्टि द विजन, 2019

 https://doi.org/10.36893/JK.2025.V15I1.028 Copyright @ 2025 Author